

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी वेतना केन्द्र, अन्वेषण रोड, छेस्त, अलीगढ़, पिन-202001 * ई-मेल: cfaligarh@gmail.com

पत्रांक २०८८/१४-१, दिनांक:अलीगढ़:जनवरी २५, 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

जनपद हाथरस में एस्सार ऑयल लि० द्वारा पीलीभीत-भरतपुर मार्ग (एस०एच०-३३) किमी० २१९-२२० के मध्य बाँयी पटरी पर ग्राम हाथरस देहात, तहसील-हाथरस के खसरा सं०-१७६ में रिटेल आउट लेट की स्थापना हेतु ०.०२७७५ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।


महोदय,

जनपद हाथरस में एस्सार ऑयल लि० द्वारा पीलीभीत-भरतपुर मार्ग (एस०एच०-३३) किमी० २१९-२२० के मध्य बाँयी पटरी पर ग्राम हाथरस देहात, तहसील-हाथरस के खसरा सं०-१७६ में रिटेल आउट लेट की स्थापना हेतु ०.०२७७५ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस के पत्रांक २७१४/२२-१, दिनांक १३.०१.२०१६ द्वारा प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर संस्तुति सहित ३ प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /१४-१, समदिनांकित।


- 1- प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को पत्रांक २७१४/२२-१, दिनांक १३.०१.२०१६ के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि- डिवीजनल मैनेजर (यू०पी० वेस्ट) एस्सार ऑयल लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

भाग-3
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जनपद हाथरस में एस्सार ऑयल लि० द्वारा पीलीभीत-भरतपुर मार्ग (एस०एच०-33) किमी० 219-220 के मध्य बाँयी पटरी पर ग्राम हाथरस देहात, तहसील-हाथरस के खसरा सं०-176 में रिटेल आउटलेट की स्थापना नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।



(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

तिथि:- 22.01.2016

स्थान:-अलीगढ़।